



पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| पोलीस अधीक्षक, कार्यालय | प्रेस नोट | दिनांक १३.०९.२०१७ ०१०० |
|-------------------------|-----------|---------------------------|

प्रति,

मा.संपादक,

दैनिक

वि"ाय :- औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात दाखल / उघडकीस गुन्हयांबाबत.

याद्वारे आपणास सुचित करण्यात येते की, औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात दिनांक १२.०९.२०१७ रोजी खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल / उघडकीस आले आहेत.

१.

| | | |
|---|-------------------|---|
| १ | पोलीस स्टेशन | रिवुर |
| २ | गुरंन व कलम | २२९/२०१७ कलम ३७९ ४०६ ३४ भादंवि सह कलम ३ व ७ जिवनावश्यक वस्तु कायदा |
| ३ | फिर्यादी | भगतसिंग गणपत दुल्हत पोडपनि ने स्थागुशा औबाद ग्रा मो ९९२३०३९९८५ |
| ४ | आरोपी | १ कुंजल रामगोपाल विश्वकर्मा वय ३५ व्यवसाय चालक रा नागापुर ता नांदगाव जि नाशिक २ दिपक सिताराम सोनवणे वय २१ रा दसकुली ता वैजापुर जि औबाद ३ योगेश गोरे रा सदर पुर्ण नाव माहित नाही |
| ५ | गु.घ.ता वेळ ठिकाण | ११.०९.२०१७ १९.२५ मनमाड ते औरंगाबाद रॉडवर साहेबराव गोरे याचे घराचे बाजुला दसकुली गावाजवळ |
| ६ | जखमीचे नाव | निरंक |
| ७ | तपास अधिकारी | श्री फराटे सपोनि पोस्टे रिवुर मो.नं. ९९२३७४७४९१ |

हकिगत : वरील ता वेळी व ठिकाणी यातील नमुद आरोपीतांनी संगणमत करून टॅन्कर एमएच २० बीटी ०८९५ इंडीयन ऑईल मधुन डिझेल चोरी करून अन्यायाने इंडीयन ऑईल कंपनीचा विश्वासघात करून जिवनावश्यक डिझेलची काळया बाजारात कमी दरत विक्री करण्यासाठी स्वताचे फायदया साठी चोरी करतांना मिळुन आले म्हणुन गुन्हा.

भाग ६

| | | |
|---|--------------|-------|
| १ | पोलीस स्टेशन | |
| २ | गुरंन व कलम | निरंक |
| ३ | फिर्यादी | |
| ४ | आरोपी | |

| | | |
|---------|-------------------|--|
| ५ | गु.घ.ता वेळ ठिकाण | |
| ६ | मिळाला माल | |
| ७ | तपास अधिकारी | |
| हकिगत : | | |

प्रोव्हेशन

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| १ | पोलीस स्टेशन | |
| २ | गुरनं व कलम | निरंक |
| ३ | फिर्यादी | |
| ४ | आरोपी | |
| ५ | गु घ ता वेळ ठिकाण | |
| ६ | तपास अधिकारी | |
| ७ | मिळाला माल | |
| हकिगत : | | |

आमृ १

| | | |
|---|--------------------|--|
| १ | पोलीस स्टेशन | अजिंठा |
| २ | आमृ नं व कलम | ३८/१७ कलम १७४ सीआरपीसी |
| ३ | खबर देणार | : रेखा शस्त्राव लखवाने वय २८ धंदा पोलीस पाटील रा लेह खेडी ता सिल्लोड मो नाही |
| ४ | मयताचे नाव | लक्ष्मीबाई बारकूबा टाकळे वय ७० रा लेह खेडी ता सिल्लोड |
| ५ | आमृ घ ता वेळ ठिकाण | ३८/१७ कलम १७४ सीआरपीसी |
| ६ | तपास अधिकारी | पोह/१०८५ आव्हाड पोस्टे अजिंठा मो.नं. ७५८८५४३५८८ |
| ७ | मरणाचे कारण | आब्यांच्या झाडाला गळफास घेउण मृत्यू |

हकिगत : यातील मयताने लेह खेडी शिवारातील स्वतःचे शेतात अंब्याच्या झाडाला कापडी रेबीनने गळफास घेउण आत्महत्या केली म्हणून आमृ दाखल.

आमृ २

| | | |
|---|--------------------|---|
| १ | पोलीस स्टेशन | गंगापुर |
| २ | आमृ नं व कलम | ५५/१७ कलम १७४ सीआरपीसी |
| ३ | खबर देणार | डौ श्री सोनखडे उपजिल्हा रूग्णालय गंगापूर |
| ४ | मयताचे नाव | प्रभाकर उत्तम हाजजे वय ३० रा नविन कायगाव ता गंगापूर |
| ५ | आमृ घ ता वेळ ठिकाण | १२.०९.२०१७ १७.०० स्वतःचे राहते घरी नविन कायगाव येथे |
| ६ | तपास अधिकारी | पोना/९५ पाटील पोस्टे गंगापुर मो.नं. ७७२१९०७०० |
| ७ | मरणाचे कारण | गळफास घेउण मृत्यू |

हकिगत : यातील खबर देणार याने एमएलसी नं ३२७६/एसबीएस/१२.०९.२०१७ वेळ ०५.०० प्रमाणे एमएलसी व्दार कळविले की यातील मयत इसम हा स्वतःचे राहते घरी गळफास घेउण आत्महत्या केली आहे वैगेरे एमएलसी वरून आमृ दाखल.

—: वाहतुक शाखा व पोस्टे अंतर्गत कार्यवाही :—

दिनांक १२.०९.२०१७ रोजी औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा वाहतुक शाखा व पोस्टे अंतर्गत केलेल्या अवैध प्रावासी वाहतुक —०८ केसेस — १६०००/रू दंड, ईतर —७६ केसेस —१५२००/—दंड, व कर्कश हॉर्न— ०० केसेस —००/— दंड अशा एकुण — १८४ केसेस — ३१२००/रू दंड वसुल करन्यात आला आहे.

स्वाक्षरीत
पोलीस अधिक्षक
औरंगाबाद ग्रामीण करीता

श्री चव्हाण सफौ, नियंत्रण कक्ष, अधिकारी औरंगाबाद ग्रामीण